जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

क्र0 जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी–I/एफ.4(236)पार्ट–II/प्रे0 513   जयपुर, दिनांक–30.03.12

आदेश

विषय -- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष शीतलहर एवं पाला से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 25.03.2012 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबधमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) जिन काश्तकारोंमें उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ATR) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (ATR) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जयपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

आज्ञा से

30/3/12

(के0 के0 पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)